न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा0पत्र / 43 / 2025

राजू पुत्र वाल्या उर्फ वाला जाति जाटव निवासी सूरज पोल गेट भरतपुर तहसील भरतपुर
.....प्रार्थी

बनाम

1– तहसीलदार भरतपुर
2– हल्का पटवारी चक नम्बर 3 कस्बा भरतपुर तहसील भरतपुर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय के आदेश दिनांक 16.4.25 की पालना नहीं किये जाने के क्रम में बाबत अपील संख्या 23 / 2023 उनवानी राजू बनाम सुरेन्द्र।

उपस्थित :–
1–श्री प्रमोद कुमार उपमन अभिभाषक प्रार्थी,
2–पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 8.5.2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी0 द्वारा श्रीमान के न्यायालय के आदेश दिनांक 16.4.2025 की पालना नहीं की जा रही है। जबकि आदेश में स्पष्ट अंकित किया गया है कि नामान्तकरण संख्या 1579 दिनांक 10.07.2023 स्थगन आदेश के दौरान स्वीकृत किया गया है को निरस्त किया गया है। जिसकी सूचना भी प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को दी है। इसके बाद भी श्रीमान के न्यायालय के आदेश दिनांक 16.4.2025 की पालना नहीं की जा रही है। जो कि न्यायालय श्रीमान के आदेश की स्पष्ट अवहेलना है। प्रार्थी ने अन्त में प्रार्थना की है कि श्रीमान के न्यायालय के आदेश दिनांक 16.4.2025 की पालना नहीं किये जाने में अप्रार्थीगण को सजा प्रदान की जावे तथा अप्रार्थीगण की चल व अचल सम्पत्ति कुर्क की जावे तथा आदेश दिनांक 16.4.2025 की पालना कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 की तलवी की गई। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि श्रीमान न्यायालय आदेश दिनांक 16.4.2025 को अपीलान्ट की अपील स्वीकार करते हुये स्टे होने के कारण नामान्तकरण संख्या 1579 खारिज किया गया था।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

उनका कहना है कि श्रीमान न्यायालय के आदेश दिनांक 16.4.2025 के अनुसार जब नामान्तकरण संख्या 1579 दिनांक 10.7.2023 खारिज कर दिया गया तो तहसीलदार भरतपुर को मुताबिक आदेश नामान्तकरण संख्या 1579 का अंकन हटा कर पूर्व की स्थिति कायम करनी चाहिये थी। परन्तु तहसीलदार भरतपुर ने ऐसा ना कर श्रीमान न्यायालय के आदेश दिनांक 16.4.25 की अवहलेना की है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी0 को सजा प्रदान की जावे।

पैरोकार सरकार का कहना है कि सम्बन्धित प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के स्थगन का अंकन राजस्व रिकार्ड में हो रहा है। तथा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भरतपुर मु. न. 166 / 2023 दिनांक 30.4.25 से स्टे का नोट राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, इस कारण श्रीमान न्यायालय के आदेश की पालना सम्भव नहीं हो पा रही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त रिर्पोट कमांक / एलआर / 2025 / 6615 दिनांक 19.8.2025 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण से सम्बन्धित विवादित आराजी बाबत उपखण्ड अधिकारी भरतपुर एवं न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा जारी स्थगन आदेश का नोट अंकन होने से तहसीलदार भरतपुर द्वारा पालना किये जाने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य नहीं रहता है। प्रार्थी सम्बन्धित न्यायालय से स्थगन में शिथलता के लिए चाराजोही के लिये स्वतन्त्र है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8.5.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर